रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072024-255267 CG-DL-E-08072024-255267

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] No. 496] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 2024/आषाढ 17, 1946 NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2024/ASHADHA 17, 1946

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2024

एफ.सं. सीए/498/2024/म.स.अ.ए(विनियम).—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां) की धारा 21 के साथ पढी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद् द्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 जो भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में दिनॉक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2024 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
- 2. वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के विनियम ४ के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :--
 - (1) कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में कुल 45 प्रतिशत अंकों सहित भौतिकी तथा गणित अनिवार्य विषय के साथ—साथ रसायनशास्त्र अथवा जीवविज्ञान अथवा तकनीकी व्यवसायिक विशय

4071 GI/2024 (1)

अथवा कम्पयूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना विज्ञान अभ्यास अथवा अभियांत्रिक ग्राफिक्स अथवा बिजिनिस स्टडीज के साथ उत्तीर्ण न की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय के साथ कुल प्राप्तांक 45 प्रति"ात से उत्तीर्ण न की हो, को वास्तुकला स्नातक पाठ्यकम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

पाद टिप्पणीः मूल विनियम दिनॉक 11 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र के भाग।।। खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 23 मार्च 2021, 30 जून 2022 तथा 19 जुलाई 2023 को संशोधित हुए थे।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./265/2024-25]

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(STATUTORY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2024

- **F. No. CA/498/2024/MSAE(Regulations)**.—In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h) and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations 2020, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 11th August, 2020, namely: -
- 1. (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020, in Regulation 4 for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(1) No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 45% marks in aggregate."

Footnote: The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on 11th August, 2020 and amended on 23.03.2021, 30.06.2022 and 19.07.2023.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar [ADVT.-III/4/Exty./265/2024-25]